

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... मुकाम.....

..... बनाम.....

किस्म मुकदमा..... नं..... सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अपनी वी पत्नी के सोपेरा जरी में जा चुके हैं गण संसाधन द्वारा ख. न. ५५ के अन्त वाली है वास्तविक आवासीय अन्त नहीं वाली जरी है जोड़े पर पुस्तक दिवाय खेत की सीमा काई प्रिकल्पान है। पत्नी के सोपेरा जरी में जा चुके हैं। जोड़े पर वसतान के जोड़े निम्न वाली जरी में है।</p> <p>अतः गण नपा गले के हाल खेत-खेत ५१२, ५०२, ५०७, ५१७, ५१८, ५०५, ५१६, ५०३/३३५० की आवासीय जरी का बांध "खारिज" किया जाता है पत्नी के पत्नी वदन बरो से आवाय की पत्नी दिखी पास है। पत्नी के पत्नी मुद्रा है व नम्बर के रूप है व दाखल दफ्तार है।</p>	

पाठासीन अधिकारी
 लोक अदालत कैम्प कोर्ट : २५/११

न्याय आपके द्वार 2018
कैम्प कोर्ट :- राजगढ़
डिक्री व मुकदमें इत्बाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद


उमराव बनाम जीवणी

दावा बाबत :- 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 109/2016
पेश करने की दिनांक - 30.6.16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम नया गांव के हाल खसरा नम्बर 412, 409, 407, 417, 418, 405, 416, 409/3356 की आराजी पर वादगण का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद



खर्चा मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक

बाबत अख्त वस्तखत व मोहर अदालत के आज 11 माह जून सन् 2018 को जारी की गयी।


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद